

प्रा.पत्र / 26 / 2019

पंजाब नेशनल बैंक शाखा बृज औद्योगिक क्षेत्र जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी सिक्थोर क्रेडिटर

बनाम

- 1-मैसर्स हिमगिरी ऑयल्स, ई-9(बी) बृज औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुरअप्रार्थी ऋणी
- 2-श्री हरबंस लाल तनेजा पुत्र लोकूराम तनेजा, बी-27 रणजीत नगर भरतपुर (साझेदार)
- 3-श्री अशोक कुमार तनेजा पुत्र लोकूराम तनेजा, बी-28(ए) रणजीत नगर भरतपुर (साझेदार)
- 4-श्री राहुल तनेजा पुत्र हरबंस लाल तनेजा, बी-27 रणजीत नगर भरतपुर (साझेदार)
- 5-श्री गौरव तनेजा पुत्र अशोक तनेजा, बी-28 रणजीत नगर भरतपुर (साझेदार)
- 6-श्री नन्द लाल तनेजा पुत्र मोतीराम तनेजा, बी-28 रणजीत नगर भरतपुर जमानती बन्धकर्ता

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्थोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्सन ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश

दिनांक 09.04.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थी ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने दिनांक 31.03.2014 को प्रार्थी बैंक से 2,20,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ अप्रार्थी ने मैसर्स हिमगिरी ऑयल्स की सम्पत्ति जो बी-28 बृज औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर, स्थित सम्पत्ति Residential house Half part at plot no B-28 Ranjeet Nagar Bharatpur admn 234.66 वर्ग मीटर है। को प्रार्थी बैंक हक में बन्धक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 30.09.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 30.09.2018 तक 17197903/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी / ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 22.10.2018 को अप्रार्थी ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण एवं देय ब्याज राशि की अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 22.10.2018 अप्रार्थी नन्दलाल को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थी पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पत्ति जो Residential house Half part at plot no B-28 Ranjeet Nagar Bharatpur admn 234.66 वर्ग मीटर प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी को खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ. आरुषी मलिक)

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official